

## सार्वजनिक सीलबन्द निविदा सूचना

नगर निगम, क्षेत्रान्तर्गत स्थित ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों को प्रीमियम के आधार पर आबंटन करने हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 22.11.2023 की अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें किसी भी कार्यदिवस में नगर निगम के भूमि अनुभाग कक्ष सं0-23 में सम्बन्धित पटल से निर्धारित शुल्क अदा करने के उपरान्त प्राप्त कर सकते हैं, तथा नगर निगम देहरादून की वेबसाईट-www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है। निविदायें दिनांक 22.11.2023 को गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेंगी।

नगर आयुक्त  
नगर निगम, देहरादून।

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, देहरादून।


### कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक 1075 / भूमि0-2023,

दिनांक 1/11/2023

प्रतिलिपि:-

1. सम्पादक अमर उजाला, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन उत्तराखण्ड संस्करण के आगामी अंक में कराते हुए बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. सम्पादक द पाईनियर अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन उत्तराखण्ड संस्करण के आगामी अंक में कराते हुए बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफ़ीसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम देहरादून की वेबसाईट [www.nagarnigamdehradun.com](http://www.nagarnigamdehradun.com) पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

  
नगर आयुक्त,  
नगर निगम, देहरादून।

## सीलबन्द निविदा के आधार पर दुकान आबंटन प्रपत्र

### विवरण पुस्तिका/प्रस्तावित शर्त/नियमावली

नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना, के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित दुकानों की प्रीमियम के आधार पर आबंटन हेतु।

- 1. योजना का नाम:-** ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना, नगर निगम, देहरादून द्वारा निर्मित दुकानों को प्रीमियम के आधार पर आबंटन हेतु पंजीकरण।
- 2. योजना का विवरण:-**

उक्त योजना नगर निगम देहरादून के स्वामित्व/प्रबन्धन भूमि पर निर्मित है। दुकानों का निर्माण बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार हेतु एक स्वच्छ खुला, समुचित पार्किंग सहित, सुगम आवागमन से युक्त, प्रदूषण मुक्त, आदर्श प्रकार के व्यवसायिक काम्प्लैक्स में स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। उक्त के विकसित होने से ओल्ड मसूरी रोड कुठालगेट पर एक अच्छे, विविध प्रकार की दुकानों से युक्त एक एकीकृत मार्केटिंग काम्प्लैक्स की सुविधा आम नागरिकों को प्राप्त होगी। उक्त योजना के अन्तर्गत 3 दुकाने (10 फिट x 15 फिट) एवं 5 दुकाने (10 फिट x 13.9 फिट) की कुल 08 दुकाने भू-तल पर निर्मित की गयी है।
- 3. दुकानों का मूल्य:-**ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत, निर्मित दुकानों का रिजर्व प्रीमियम/मासिक किराया जो कि नगर निगम द्वारा मूल्यांकित कर निर्धारित किया गया है, प्रपत्र-2 में दुकानवार दर्शित है, उक्त रिजर्व लागत से कम पर सम्पत्ति/दुकान का आबंटन नहीं किया जायेगा। प्रपत्र-2 में अंकित पंजीकरण धनराशि आरक्षित प्रीमियम मूल्य का 10 प्रतिशत है।
- 4. किराया:-** उच्चतम् निविदादाता/आबंटी द्वारा मासिक किराया देय होगा जो प्रपत्र-2 में अंकित है। किराया कब्जा प्राप्त होने की तिथि से देय होगा, किराये में प्रति 2 वर्ष के उपरान्त 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- 5. पंजीकरण धनराशि:-**प्रपत्र-2 में दुकानवार पंजीकरण धनराशि प्रदर्शित है जो तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम नगर निगम देहरादून के नाम देय होगा जो निर्धारित तिथि तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 6. भुगतान योजना:-**उच्चतम् निविदादाता/आबंटी व्यक्ति के द्वारा 10 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क से शेष बची धनराशि दो माह के अन्दर नगर निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- 7. दण्ड ब्याज:-** उच्चतम् निविदादाता/आबंटी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित तिथि तक किराये का भुगतान न करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दण्ड ब्याज के रूप में देना होगा। तीन माह तक लगातार किराया जमा न करने की दशा में नगर निगम, देहरादून को यह अधिकार होगा कि वह किया गया आबंटन निरस्त करते हुए बकाया पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही करे।

*Signature* for *Q* 1 *pl*

## 8. पात्रता:-

- (क) निविदा में प्रतिभाग करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।  
(ख) निविदा में उत्तराखण्ड का कोई भी स्थाई निवासी प्रतिभाग कर सकता है।

## 9. आवेदन कैसे करें:- ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना, देहरादून के निर्मित दुकानों का आबंटन प्रीमियम की आबंटन पद्धति से निविदा के आधार पर किया जायेगा।


आवेदन हेतु निविदा प्रपत्र नगर निगम देहरादून के कक्ष सं0-23 भूमि अनुभाग के विज्ञापन पटल/दुकान आबंटन पटल अथवा नगर निगम देहरादून की वेबसाइट- [www.nagarnigamdehradun.com](http://www.nagarnigamdehradun.com) पर उपलब्ध होगा। आवेदनकर्ता ओल्ड मसूरी रोड पर निर्मित दुकानों का स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर सीलबन्द निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं। आवेदन पत्र का मूल्य रू0-500/- तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल रू0-590/- (पांच सौ नब्बे रूपये मात्र) देय होगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित तकनीकी दस्तावेजों को विधिवत् रूप से पूर्ण स्वहस्ताक्षरित होना आवश्यक है। विधिवत् रूप से मांगे गये सभी दस्तावेज एवं आवेदन पत्र के प्रपत्र-2 में अंकित पंजीकरण राशि जो नगर निगम देहरादून के नाम मात्र डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रपत्र आफलाईन किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम के भूमि अनुभाग कक्ष सं0-23 सम्बन्धित पटल से निर्धारित शुल्क अदा करने अथवा ऑनलाईन नगर निगम की वेबसाइट [www.nagarnigamdehradun.com](http://www.nagarnigamdehradun.com) से डाऊन लोड कर प्राप्त कर सकते हैं, अथवा ऑनलाईन निविदा प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रू0-500/- व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल रू0-590/- डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि नगर निगम देहरादून के नाम देय होगा को तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में निविदादाता की निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

निविदादाता को अपनी निविदा निर्धारित तिथि 22.11.2022 की अपराह्न 2.00 बजे तक जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। उच्चतम निविदादाता/व्यक्ति को अन्तिम आबंटन का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक पूर्ण देयता समाप्त न हो जाये। पूर्ण आबंटन तभी माना जायेगा जब उच्चतम निविदादाता नगर निगम की ओर से अन्तिम आबंटन पत्र प्राप्त न कर ले और उसकी सभी औपचारिकतायें पूरी न कर ले।

### 9.1 निविदा में प्रतिभाग करने हेतु तकनीकी दस्तावेज/अभिलेख।

- (क) आयु सम्बन्धी साक्ष्य जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, हाई स्कूल प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।  
(ख) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जो कि 6 माह से पुराना न हो और जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो।  
(ग) निविदा प्रपत्र क्रय करने सम्बन्धी रसीद एवं डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।





- (घ) उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (ङ) निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र रू0-10 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर।
- (च) निविदा में प्रतिभाग करते समय पंजीकरण धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

#### 10. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं धनराशि वापसी:-

- 10.1 उच्चतम् निविदादाता/आबंटी के द्वारा 10 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् निविदा में उच्चतम् निविदा/धनराशि 100 प्रतिशत दो माह में अथवा एक मुश्त नगर निगम कार्यालय में जमा करानी होगी।
- 10.2 निविदा के माध्यम से उच्चतम् निर्धारित धनराशि को दो माह में जमा न कराने की दशा में नगर निगम देहरादून को यह अधिकार होगा कि वह किया गया तदर्थ आबंटन निरस्त करते हुए पुनः निविदा कराने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10.3 उच्चतम् निविदादाता द्वारा दुकान का कब्जा लेने के उपरान्त दुकान का किराया या अन्य विधिक देयकों का भुगतान न करने पर एवं शर्तों के उल्लंघन पर नगर निगम द्वारा जमा पंजीकरण/प्रीमियम धनराशि को जब्त करने के साथ-साथ निरस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए दुकान का कब्जा नगर निगम द्वारा ले लिया जायेगा।
- 10.4 निविदा के माध्यम से आबंटन पत्र/कब्जा अधिपत्र की तिथि से दो माह में कब्जा प्राप्त न करने पर आबंटन/पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

**11. मिथ्या आवेदन एवं तथ्यों को छुपाना:-** यदि यह पाया जाता है कि निविदादाता/आवेदनकर्ता द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो आबंटी के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर पंजीकरण एवं प्रीमियम धनराशि जब्त करते हुए दुकान का आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाली समस्त निविदा/आबंटन में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

#### 12. निविदा प्रक्रिया:-

- 12.1 **तकनीकी निविदा** -निविदादाता को आवेदन पत्र के साथ तकनीकी निविदा सम्बन्धी दस्तावेज जो निविदा प्रपत्र के बिन्दु 9.1 के (क से च) तक के समस्त अभिलेख/दस्तावेज को तकनीकी निविदा के लिफाफे में डालकर सीलबन्द करना होगा तथा लिफाफे पर "**तकनीकी निविदा**" एवं **निविदादाता का नाम व पता** अंकित करना अनिवार्य होगा।

*Abiswal for*

12.2 वित्तीय निविदा—प्रपत्र-1 बी0ओ0क्यू0 को वित्तीय निविदा के लिफाफे में रखकर सीलबन्द करना अनिवार्य होगा, तथा लिफाफे पर “वित्तीय निविदा” एवं निविदादाता का नाम व पता अंकित करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त दोनों लिफाफों एक अलग बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर लिफाफे पर योजना का नाम “ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना” निविदादाता का नाम व पता अंकित कर सीलबन्द निविदा अन्तिम तिथि व निर्धारित समय तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीडपोस्ट के माध्यम से सहायक नगर आयुक्त (भूमि अनुभाग—कक्ष सं0-23) नगर निगम, देहरादून के नाम पर उपलब्ध करायी जा सकती है अथवा निविदादाता स्वयं भी उपरोक्त पते पर निविदा बॉक्स में अपनी निविदा डाल सकते हैं।

12.3 तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। जिसमें टाईप-1/टाईप-2 की दुकानों में आमंत्रित सीलबन्द निविदा में सर्वोच्च बोलीदाता की निविदा को आधार मूल्य मानते हुए निविदा को प्रथम दुकान आबंटित की जायेगी तथा उसी आधार मूल्य पर द्वितीय दुकान हेतु द्वितीय सर्वोच्च निविदादाता को प्रथम उच्चतम् निविदादाता के मूल्य के बराबर मूल्य पर आबंटन किया जायेगा। द्वितीय सर्वोच्च निविदादाता द्वारा प्रथम उच्चतम् मूल्य के बराबर मूल्य अस्वीकार करने पर तृतीय निविदादाता को प्रथम उच्चतम् मूल्य पर दुकान प्राप्त करने का मौका दिया जायेगा। इसी क्रम में निविदा की प्रक्रिया संचालित की जायेगी। यदि उपरोक्त में से प्रथम उच्चतम् निविदादाता के अतिरिक्त किसी भी निविदादाता द्वारा आधार मूल्य पर दुकान प्राप्त करने से अस्वीकार किया जाता है तो नगर निगम प्रथम उच्चतम् निविदादाता को शेष दुकाने स्वीकृत आधार मूल्य पर आबंटन का प्रस्ताव देने के लिये स्वतन्त्र होगा।

12.4 दुकाने शेष रह जाने की दशा में नगर निगम देहरादून पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

12.5 आरक्षित प्रीमियम से कम पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

**13. असफल आवेदक:—** दुकान निविदा आबंटन प्रक्रिया में असफल निविदादाता/आवेदक अपनी पंजीकरण धनराशि (डिमांड ड्राफ्ट के रूप में) संलग्न को वापसी हेतु आवेदन सहायक नगर आयुक्त (भूमि), नगर निगम देहरादून के समक्ष 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं।

**14. कब्जा:—** निविदादाता/आबंटी द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर आबंटी को आबंटन पत्र के अनुसार पूर्ण धनराशि एवं 15 वर्ष के लिये किराया अनुबन्ध निष्पादित करने पर नगर निगम देहरादून द्वारा दुकान का कब्जा आबंटी को दे दिया जायेगा।

*Chaiswaj* *for* *R* <sup>4</sup> *JL*

- 15. दुरुपयोग / परिवर्धन / परिवर्तन:**—यह कि निविदा आबंटन केवल भू-तल से सम्बन्धित दुकानों के लिये ही है अर्थात् दुकान की छत, सामुदायिक सुविधाओं, खुला क्षेत्र, सीढ़िया, गैलरी बरामदा, पार्किंग आदि पर स्वामित्व नगर निगम, देहरादून का ही रहेगा तथा यह सार्वजनिक उपयोग का क्षेत्र रहेगा। इस पर किसी प्रकार से दुकानदार/दुकानदारों का भौतिक अथवा वैधानिक स्वामित्व नहीं होगा तथा इनका व्यक्तिगत प्रयोग भी वर्जित रहेगा। निविदादाता जिस किसी दुकान की भी अधिकतम निविदा लगायेगा, नियमानुसार उसे दुकान आबंटित किये जाने सम्बन्धी स्वीकृति दी जायेगी, आबंटी केवल उसी दुकान का प्रयोग अपने प्रयोजनार्थ कर सकता है। प्रथम तल अर्थात् छत पर किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं होगा एवं प्रथम तल अर्थात् छत नगर निगम की सम्पत्ति होगी।
- 16.** निविदादाता जिसको दुकान आबंटित की जायेगी, वह दुकान में किसी प्रकार का विभाजन नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देगा। यदि आबंटी द्वारा विभाजन किया जाता/ किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिया जाता है तो नगर निगम देहरादून को उसके आबंटन को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 17.** उक्त के अन्तर्गत दुकानों के आबंटन के दो वर्ष पश्चात किराये को हस्तान्तरणीय बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसके अनुसार हस्तान्तरित/कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा तत्समय आरक्षित प्रीमियम गणना कर प्राप्त दरों का 10 प्रतिशत नगर निगम कोष में जमा कराया जाना प्रस्तावित है। तदुपरान्त ही हस्तान्तरण अभिलेख त्रिपक्षीय किराया अनुबन्ध निष्पादन कि कार्यवाही की जायेगी। उक्त के उपरान्त जब-जब आबंटी द्वारा हस्तान्तरण किया जायेगा, उक्त समय 25 प्रतिशत किराया वृद्धि की जायेगी।
- 18. अनुमन्य व्यापार का प्रकार:**—उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदूषण बढ़ाने वाले तथा आम नागरिकों, महिलाओं व बच्चों को आपत्तिजनक लगने वाले निम्नलिखित व्यवसायों हेतु दुकान आबंटन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- 18.1 सीमेन्ट, निर्माण सामग्री आदि का गोदाम।
  - 18.2 ऑयल, ल्यूब्रीकेन्ट, ग्रीस आदि।
  - 18.3 स्कूटर, कार आदि की रिपेयर हेतु वर्कशॉप।
  - 18.4 किसी भी प्रकार की मीट, मुर्गी पालन, मांसाहार क्रय विक्रय आदि।
  - 18.5 एक्सप्लोसिव सम्बन्धी आपत्तिजनक सामग्री।
  - 18.6 मदिरा तथा नसीले पदार्थों का व्यापार।
  - 18.7 कबाड़ी का कार्य।
  - 18.8 अन्य कार्य जो शासन द्वारा बिना लाईसेन्स के प्रतिबन्धित किये गये हैं।

*Daiswal*   5 



प्रपत्र-1 बी0ओ0क्यू0

योजना का नाम-ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना।

क्रम सं०	दुकान का प्रकार	नगर निगम द्वारा प्रति दुकान आरक्षित प्रीमियम	निविदा की धनराशि शब्दों में	निविदा की धनराशि शब्दों व अंकों में
1	टार्डप-1 (10 X 15 फिट)	रु०-17,70,646 /-		
2	टार्डप-2 (10 X 13.9 फिट)	रु०-18,15,277 /-		

- ❖ नोट-निविदादाता जिस प्रकार की दुकान को देने के लिये इच्छुक होगा उसके क्रमांक के सापेक्ष निविदा की धनराशि अंकित करेगा।
- ❖ आरक्षित प्रीमियम से कम धनराशि अंकित करने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।
- ❖ वित्तीय निविदा में कटिंग व ओवर राईटिंग होने की दशा में निविदा निरस्त समझी जायेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-.....

पता-.....

मोबाईल नं० / दूरभाष नं०.....

*Pariswar*

*श*

*R*

*f*

6

प्रपत्र-2

ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत भू-तल पर निर्मित दुकानों का विवरण

दुकानों का प्रकार	दुकान सं०	लम्बाई फिट में	गहराई फिट में	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	मासिक किराया	पंजीकरण धनराशि	प्रीमियम की धनराशि
टाईप-1	3	10 फिट	15 फिट	13.94 वर्गमीटर	3500 जी०एस०टी० अतिरिक्त	रु०-177065	1770646
	4	10 फिट	15 फिट	13.94 वर्गमीटर	3500 जी०एस०टी० अतिरिक्त	रु०-177065	1770646
	5	10 फिट	15 फिट	13.94 वर्गमीटर	3500 जी०एस०टी० अतिरिक्त	रु०-177065	1770646
टाईप-2	6	10 फिट	13.9 फिट	12.91 वर्गमीटर	3500 जी०एस०टी० अतिरिक्त	रु०-181528	1815277
	7	10 फिट	13.9 फिट	12.91 वर्गमीटर	3500 जी०एस०टी० अतिरिक्त	रु०-181528	1815277
	8	10 फिट	13.9 फिट	12.91 वर्गमीटर	3500 जी०एस०टी० अतिरिक्त	रु०-181528	1815277
	9	10 फिट	13.9 फिट	12.91 वर्गमीटर	3500 जी०एस०टी० अतिरिक्त	रु०-181528	1815277
	10	10 फिट	13.9 फिट	12.91 वर्गमीटर	3500 जी०एस०टी० अतिरिक्त	रु०-181528	1815277

*Handwritten signature and initials*



आवेदन पत्र

नगर निगम, देहरादून।

ओल्ड मसूरी रोड स्थित नगर निगम, की व्यवसायिक दुकानों की प्रीमियम पर आबंटन हेतु।

भाग-1

1. योजना का नाम .....
2. बोलीदाता का नाम .....
3. आयु .....
4. पिता/पति/फर्म का नाम/कम्पनी .....
5. लिंग .....
6. स्थाई पता .....
7. फोन नं० .....
8. ई०-मेल .....
9. वैवाहिक स्थिति:- विवाहित ..... अविवाहित .....
10. पैन नं०-.....
11. वार्षिक आय .....
12. नामित व्यक्ति का नाम .....
13. आवेदक से सम्बन्ध .....
14. पंजीकरण शुल्क:-1. पंजीकरण धनराशि .....
2. ड्राफ्ट नं०:-.....
3. दिनांक :-.....

दिनांक:-.....

आवेदक के हस्ताक्षर

*Chaitanya* *R* *R* *R*

## शपथपत्र का प्रारूप

नगर आयुक्त

नगर निगम, देहरादून।

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पिता/पति का नाम .....

व्यवसाय का विवरण .....

.....पूर्ण पता .....

आयु .....

मैं ..... शपथ निम्नलिखित बयान करता/करती हूँ।

1. यह कि मैंने ओल्ड मसूरी रोड व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत दुकान सं० ..... भू-तल के आबंटन के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक ..... मय वांछित अग्रिम पंजीकरण धनराशि रू० ..... ड्राफ्ट सं० ..... बैंक का नाम ..... दिनांक ..... जमा किया है।
2. यह कि प्रस्तावित दुकान में होने वाला व्यवसाय जो नियमावली में प्रतिबन्धित हो नहीं करूंगा/करूंगी।
3. यह कि मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है। (प्रमाण पत्र संलग्न)
4. अ-यह कि मैं प्रार्थना पत्र अपने लिये दे रहा/रही हूँ और इसमें किसी प्रकार बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।  
ब-यह कि कर दाता हूँ/नहीं हूँ इनकम टैक्स परमानेन्ट एकाउन्ट नं० ..... है तथा वित्तीय वर्ष ..... को मेरी वार्षिक आय रू०-..... है।
5. यह कि मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी प्रकार से उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किशतों/किराये के शेष रह जाने पर नगर आयुक्त/अनुश्रवण समिति को यह आबंटन समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है।
6. यह कि यदि समिति द्वारा दुकान आबंटित होने पर मुझसे मांगा गया रूपया जमा न करू अथवा दुकान का अनुबन्ध पत्र न कराऊं अथवा निर्धारित तिथि पर दुकान का कब्जा न लूँ, अथवा समिति द्वारा की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त धन को उपरोक्त विवरण के अनुसार समिति जब्त करके दुकान तदर्थ आबंटन रद्द कर सकती है तथा दुकान पर अपना कब्जा प्राप्त कर सकती है।

शपथकर्ता





 9

